न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

पीठासीन अधिकारी गोपाल परिहार आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 12/2019

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टगण
01.भवरलाल पुत्र मोहनराम जाति सुथार निवासी नन्दवान तहसील लूणी जिला जोधपुर।		01.पंकज सुथार पुत्र प्रेमाराम जाति सुथार निवासी नन्दवान हाल निवासी मकान सख्या 23 पर्णिता विहार सांगरिया तहसील जोधपुर जिला जोधपुर। 02.सरपचं ग्राम पंचायत नन्दवान तहसील लूणी जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति –

अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता ईश्वरसिह उपस्थित।

रेस्पोडेन्टगण की ओर से अधिवक्ता श्री रूगाराम चौधरी उपस्थित।

आदेश

दिनांक :– 12/2/2021

अपीलान्ट की अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम विरूद्व आदेश सरपंच निष्पादित करने के बाद दिनांक 09.12.2018 को चन्दा देवी का देहान्त हो गया। स्थगन आदेश दिनाक 08.09.2016 प्रभावी होते हुए भी रेस्पोडेन्ट सख्या 01 पंकज कुमार ने उक्त वसीयत के आधार पर म्यूटेशन 1853 अपने पक्ष मे स्वीकृत करवा दिया इस कारण उक्त म्यूटेशन निरस्त करने योग्य है।

अपीलान्ट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टगण को नोटिस जारी किया रेस्पोडेन्टगण सख्या 01 व 02 का नोटिस तामिल सुदा प्राप्त हुआ रेस्पोडेन्ट सख्या 01 की ओर से श्री रूगाराम चौधरी अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया।

अपीलान्ट अधिवक्ता की बहस सुनी गई अपीलान्ट अधिवक्ता ने अपनी बहस मे यह निवेदन किया कि नामान्तकरण सख्या 1853 जो दिनांक 23.10.2019 को खातेदार चन्दा देवी का देहान्त होने के पश्चात रेस्पोडेन्ट सख्या 01 पंकज कुमार ने वसीयत के आधार पर म्यूटेशन स्वीकृत करवाया कि उस वक्त जब राजस्व मण्डल अजमेर से स्थगन आदेश दिनाक 08.09.2016 को जारी हुआ था। इस ग्राम पंचायत नन्दवान तहसील लूणी जिला जोधपुर द्वारा नामान्तकरण संख्या 1853 जो दिनांक 23.10.2019 के विरूद्व अपील पेश की तथा अपील में यह निवेदन किया की खेत खसरा नंबर 33,38,59 कुल रकबा 220 बीघा 8 बिस्वा भूमि 1/2 हिस्से के खातेदार

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

काश्तकार सुखदेव पुत्र भोमाराम थे। सुखदेव पुत्र भोमाराम के तीन पुत्र मोहनराम अणदाराम व लक्ष्मण को उक्त भूमि के संबंध में उपखण्ड अधिकारी लूणी ने दिनांक 19.07.2012 को निर्णय पारित किया। उक्त आदेश के विरुद्ध न्यायालय सम्भागीय आयुक्त जोधपुर में अपील पेश की। जो दिनांक 08.06.2016 को अपील स्वीकार की गई, उक्त अपील के विरुद्ध राजस्व मण्डल अजमेर में दौलाराम वगैरा ने निगरानी पेश की, जो आज भी राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन है तथा उक्त निगरानी के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र पेश किया जो दिनांक 08.06.2016 राजस्व मण्डल अजमेर ने स्वीकार सम्भागीय आयुक्त जोधपुर के निर्णय दिनांक 08.06.2016 की पालना व क्रियान्वित स्थगित रखने का आदेश दिया, स्थगन आदेश होते हुए खातेदार चन्द्रा देवी पत्नी मोहनराम ने वसीयत नामा रेस्पोडेन्ड स. 1 पंकज कुमार के पक्ष में दिनांक 14.09.2017 में निष्पादित किया तथा चन्द्रादेवी के फौत होने के कारण उक्त म्यूटेशन स्थगन आदेश होते हुए भी भरा गया था इसी कारण से खारीज फरमाया जावे। तथा अधिवक्ता ने अपनी बहस मे यह भी निवेदन किया कि अगर न्यायालय के समक्ष उक्त खसरान का दावा या अपील निगरानी विचाराधीन हो तो भी सम्पति अधिनियम की धारा 52 के तहत बेचान या हस्तान्तकरण या राजस्व रेकर्ड में फेरबदल नहीं करवा सकते इस कारण ऐसा आदेश एब इश्यू वाईड की श्रेणी में आता है, तथा ऐसे आदेश में म्याद का बिन्दु लागू नहीं होता है, इस कारण उक्त म्यूटेशन स्थगन आदेश होते हुए स्वीकृत किया गया है, इस कारण उक्त म्यूटेशन खारिज फरमाया जावें। रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता की बहस सुनी गई

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा अपील में दस्तावेजों का अवलोकन किया, उक्त म्यूटेशन स. 1853 जो दिनांक 23.10.2019 को खातेदार चन्द्रा देवी का देहान्त होने के बाद रेस्पोडेन्ट स. 1 पंकज कुमार के पक्ष में म्यूटेशन स. 1853 स्वीकृत किया गया है। उस समय राजस्व मण्डल अजमेर से उक्त खसरान का स्थगन आदेश दिनाक 08.09.2016 को क्रमाक/जोधपुर/निगरानी एल,आर सख्या 5175/2016 जारी हो रखा था। इस कारण उक्त म्यूटेशन स. 1853 खारीज करने योग्य है तथा म्यूटेशन उक्त एब इन इश्यूवाईड की श्रेणी में आता है इस कारण ऐसे म्यूटेशन में म्याद का बिन्दु लागू नहीं होता है, अपीलान्ट की अपील अन्दर म्याद में मानी जाती है तथा लिमिटेशन प्रार्थना पत्र धारा 5 स्वीकार किया जाता है तथा नामान्तकरण स. 1853 जो सरपंच

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

ग्राम पंचायत नन्दवान द्वारा दिनांक 23.10.2019 को स्वीकृत किया गया है। इसको निरस्त किया जाता है। तहसीलदार लूणी को रिमाण्ड कर निर्देश दिये जाते है कि सम्बन्धित पक्षकारान् को सुनवाई को समुचित अवसर देते हुवे पुनःविधिसम्मन्त नामान्तरकरण आदेश पारित करे आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक [illegible] को सरे इजलास मे सुनाया गया।

(गोपाल परिहार आर.ए.एस)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी, (जोधपुर)